न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	16.03.2022	01.03.2024

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम ....आवेदक

1–श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टाकीज रोड टोंक जिला टोंक निवासी विद्याधर नगर डाईट रोड टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

2–श्रीमति सीमा लालवानी पत्नि श्री भगवान लालवानी प्रोपरायटर मैसर्स शिवा एन्टरप्राईजेज 1766, गोविन्द राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर राज.। निवासी 4–ख–1, जवाहर नगर, जयपुर राज.। पिनकोड–302001

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री महेन्द्र विजय एवं श्री मनीष कृपलानी निर्माता फर्म प्रतिनिधि ।

:–**निर्णय**–:

दिनांक 01.03.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.12.2021 को समय 12:42 पीएम पर मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टाकीज रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **बाजरा आटा शिवा ब्राण्ड (Pearl Millet Flour (Bajra Atta) Shiva Brand)** के 500–500 ग्राम के 30 नग पॉली पैक नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेन्द्र विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री महेन्द्र विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बाजरा आटा शिवा ब्राण्ड (Pearl Millet Flour (Bajra Atta) Shiva Brand)** जिसके बैच नम्बर 02 NOV

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2021 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बाजरा आटा शिवा ब्राण्ड (Pearl Millet Flour (Bajra Atta) Shiva Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक में से एक–एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2987 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2987 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स शिवा एन्टरप्राईजेज 1766, गोविन्द राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/52 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./1858/एक्ट/2021/1794 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **बाजरा आटा शिवा ब्राण्ड (Pearl Millet Flour (Bajra Atta) Shiva Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री महेन्द्र विजय स्वयं एवं अप्रार्थी सं. 2 निर्माता फर्म की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री मनीष कृपलानी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। भविष्य में सभी मानकों का ध्यान रखा जावेगा। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बाजरा आटा शिवा ब्राण्ड (Pearl Millet Flour (Bajra Atta) Shiva Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Branded) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी, निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बाजरा आटा शिवा ब्राण्ड (Pearl Millet Flour (Bajra Atta) Shiva Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0